28.12.18 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस कैविट....
आगामी पेशी दिनांक 9.1.19
पेश हो

9.1.2019

राजपत्रोकार व अप्रार्थी अभिभाषक उप। बहस कैविट सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 16.1.2019 को पेश हो।

16.1.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अप्रार्थी का प्रार्थना-पत्र उपरान्त कार्यवाही जिस हद तक संपरिवर्तन नहीं हुई है स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय शामिल पत्रावली है। T.D.Q. HMH को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :— राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 304/2015

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार हनुमानगढ़।

———**प्रार्थी**

बनाम

मै0 श्याम ईंट उद्योग (निर्मला पत्नी सुरेशकुमार अग्रवाल) साकिन 20 एचएमएच।

———**अप्रार्थी/खातेदार काश्तकार**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

उपस्थित :—

1. पैरोकार राज स्वयं उपस्थित — प्रार्थी

निर्णय **दिनांक :—** 25/7/16

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी राजस्थान राज्य की कृषि भूमि का भू—धारक है तथा भू—धारक की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। चक 20 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ (राजस्थान) के प.न. 117/282 मे कि.न. 4/0.164, 5/0.139, 5/0.228, 7/0.253, 14/0.253, 15/0.253 कुल 1.290 है0 भूमि है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी के पास कृषि कार्य हेतु है तथा अप्रार्थी या पूर्व खातेदार काश्तकार ने इस भूमि को राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत किसी कदर अकृषि कार्य मे संपरिवर्तन नही करवाया हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ईंट भट्टा बना रखा है जिसकी जानकारी प्रार्थी को हल्का पटवारी की रिपोर्ट से हुई है। अप्रार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों मे भू—रूपांतरण करवाये बिना अकृषि कार्य (ईंट भट्टा) हेतु प्रयोग मे लिया गया है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तो का उल्लंघन किया है, जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि से अप्रार्थी को बेदखल करवा प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करवा कब्जा पाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी माननीय अदालत के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण मे बिना न्याय शुल्क के प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर प्रश्नगत कृषि भूमि प.न. 117/282 मे कि.न. 4/0.164, 5/0.139, 5/0.228, 7/0.253, 14/0.253, 15/0.253 कुल 1.290 है0 कृषि भूमि मय गै.मु. भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करने व कब्जा प्रार्थी को दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। अप्रार्थी बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

पत्रावली पर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार राज की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र साबित करने मे सफल रहा है। वादग्रस्त भूमि की वास्तविक मालिक राज्य सरकार है परन्तु अप्रार्थी ने उसको दिये गये अधिकारो का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर ईंट भट्टा स्थापित कर कृषि से भिन्न कार्यो हेतु उपयोग

Scanned by CamScanner

किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नही करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 20 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ (राजस्थान) के प.न. 117/282 मे कि.न. 4/0.164, 5/0.139, 6/0.228, 7/0.253, 14/0.253, 15/0.253 कुल 1.290 है0 कृषि भूमि मय गै.मु. भूमि से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते है और तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मे से अप्रार्थी को बेदखल किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी के स्थान पर आराजीराज दर्ज किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/7/16 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.08.16 17:51:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: